अध्याय – 2 (कार्यपालिका) (अनु॰ – 153–167)

राज्यपाल (अनुच्छेद – 153 – 162)

⇒ "राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है।" — सरोजनी नायडू

⇒ अनुच्छेद – 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परन्तु एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह पद कैनाडा से लिया गया है।

⇒ एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम (1956) द्वारा किया गया। (Art. 153 में परंतुक जोड़कर)

⇒ अनुच्छेद – 154 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, किन्तु वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रीपरिषद द्वारा किया जाता है।

⇒ अनुच्छेद – 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः राज्यपाल केन्द्र का नाम निर्देशिती होता है।

⇒ यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है और न ही उसके अधीनस्थ। (हरगोविन्द पंत बनाम रघुकुल तिलक S.C.)

⇒ अनुच्छेद – 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करता है। साधारणतः वह अधिकतम पाँच वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है किन्तु इस अवधि के पूर्व वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। संसद या राज्य विधान मण्डल राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत नहीं कर सकते हैं।

⇒ कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

⇒ अनुच्छेद – 157 में लिखित है कि राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए दो योग्यताएँ होना आवश्यक है — i) वह भारत का नागरिक हो, ii) उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो।

⇒ राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद – 158 (1) के तहत राज्यपाल संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा।

⇒ अनुच्छेद – 158(2) के अनुसार राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

⇒ अनुच्छेद – 158(3) राज्यपाल, बिना किराया दिये, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे हकदार होगा। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते

राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं।

सितम्बर - 2008 में संसद द्वारा पारित राज्यपालों की परिलब्धियाँ, भत्ते एवं विशेषाधिकार (संशोधन) अधिनियम - 2008 के अनुसार राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर 36,000 ₹ से 1,10,000 ₹ कर दिया गया।

अनुच्छेद - 158 (3क) के तहत जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उसे दिया जाने वाला वेतन एवं भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाए। राज्यपाल निःशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होता है।

अनुच्छेद - 158 (4) के निमित्त राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।

अनुच्छेद - 159 के अनुसार अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान कर, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा जो इसी अनुच्छेद - 160 के निमित्त राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है।

अनुच्छेद - 161 के तहत उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध जिन पर राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार है, किए गए अपराध के लिए दोषसिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करने, उसका प्रविलम्ब करने, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है।

राज्यपाल को राज्यसूची तथा समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए क्षमादान, आदि की शक्ति है।

राज्यपाल को मृत्युदण्ड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है और न ही संघ सूची के विषयों से संबंधित सभी अपराधों तथा सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दण्डादेशों को क्षमा करने का अधिकार है।

अनुच्छेद में वर्णित है।

राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य —

थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं सिर्फ कूटनीति, सैनिक तथा आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर।" — डी० डी० बसु

कार्यपालिका शक्तियाँ —

अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्य का "प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करते हैं।" वह मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकता है।

अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है तथा किसी मंत्री द्वारा लिए गए किसी निर्णय को विचार के लिए मंत्री-परिषद के समक्ष रखवा सकता है। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य आयोग के सदस्यों की

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner